



e/; i n's k 0; koI kf; d i j h{kk e. My] Hkk{ky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

P.P.T - 2014

ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	12.06.2014
ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि	11.07.2014
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	12.07.2014
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	21.07.2014
परीक्षा दिनांक व दिन	24.08.2014 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित / अन्य पिछङ्गा वर्ग के लिए :-
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / निःशक्तजन के लिए :-
ऑनलाईन आवेदन—पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 70/- देय होगा।	

I e; I kj . kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियों भरने का समय	प्रश्न—पत्र वितरण समय	प्रश्न—पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
24.08.2014 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 01:15 बजे तक (3:00 घंटे)

fVII . kh %

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्क्यूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाइटबोर्ड आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश—पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त / जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्लाईट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश—पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट, अभ्यर्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत् है उस विद्यालय के प्राचार्य से अभ्यर्थी का फोटोयुक्त पहचान पत्र सत्यापित किया गया में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- मण्डल द्वारा जारी प्रवेश—पत्र (टी०ए०सी०) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी।

P.P.T - 2014

fō;k; | ph

v/; k; & 1

fun;k , oa i jh{kk | pkyu fu; e

I - Øa	fooj.k	fu; e Øekd	i "B Øekd
1	ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की प्रक्रिया	1.3	3
2	आवेदन—पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ व हस्ताक्षर से संबंधित निर्देश	1.6	4—5
3	ऑनलाईन आवेदन—पत्र की स्क्रुटिनी एवं रेकिटफिकेशन के संबंध में जानकारी	1.8	7
4	ऑनलाईन आवेदन—पत्र के निरस्तीकरण	1.9	7
5	परीक्षा प्रवेश—पत्र	1.10	8
6	परीक्षा शहर	1.11	8
7	परीक्षा कक्ष में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री	1.13	9
8	परीक्षा पद्धति	1.15	9
9	अनुचित साधन	1.16	9—10
10	मूल्यांकन पद्धति	1.17	10—11
11	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	1.20	11
12	मण्डल का क्षेत्राधिकार	1.24	13

v/; k; & 2

P.P.T - 2014 i d's k fu; e

øe/; i n's k jkT; 'kkl u }kj k ?kks"kr Lo'kkl h] vuqku i klr v'kkl dh;] Lo'kkl h , oa
Loforh; | LFkkvkA fo' ofo | ky; huÅ

I - Øa	fooj.k	fu; e Øekd	i "B Øekd
1.	प्रवेश नियम	2.4	17—25
2.	प्रवेश की प्रक्रिया	2.5	25—26
3.	योग्यता क्रम सूचीया	2.6.3	27
4.	पी०पी०टी० पाठ्यक्रम हेतु सीटो की उपलब्धता	टेबल—01	59—62

v/; k; & 3

P.P.T - 2014 i d's k fu; e

øe/; i n's k es fLFkr fupyh 0; ol kf; d f'k{k.k | LFkkvkA

I - Øa	fooj.k	fu; e Øekd	i "B Øekd
1.	प्रवेश नियम	3.4	33—39
2.	प्रवेश की प्रक्रिया	3.5	39
3.	योग्यता क्रम सूचीया	3.6.3	40
4.	पी०पी०टी० पाठ्यक्रम हेतु सीटो की उपलब्धता	टेबल—01	59—62

v/; k; & 4

i ek.k&i =ks ds i k: i , oa Vcy & i "B Øa 45 | s 62 rd

v/; k; & 5

i kB; Øe & i "B Øa 63 | s 68 rd

v/; k; &1
e/; i n's k 0; kol kf; d i j h{kk e. My] Hkksj ky
i j h{kk I pklyu fu; e , oafun's k

egRoi wkl %&

1-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

1-2 ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग / संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख / संबंधित विभाग / म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश / चयन / नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

1-3 vkluykbli vkonu&i = Hkj us dh 0; oLFkk %&

- (1) ocl kbN www.vyapam.nic.in VFkok www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है।
- (2) ऑनलाईन आवेदन—पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित शुल्क P.P.T 2014 हेतु अनारक्षित / अन्य पिछड़ी जाति के लिए 400/- तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / निःशक्तजन के लिए 200/- का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वंयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा / मास्टर / मास्टरो कार्ड) / क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा / मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रु. 70/- क्योस्क शुल्क देय होगा।
- (3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की बेवसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके।

1-4 vkluykbli vkonu&i = ds I kf k I ayku fd; s tkus okys nLrkost k dk fooj . k %&

ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

- (अ) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे।
- (ब) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तालिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तालिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।

- (स) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं, दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नहीं होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।
- (ई) आवेदक द्वारा यदि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो, तो निर्धारित प्रारूप में संचालक खेल एवं युवक कल्याण से जारी मूल प्रमाण—पत्र की स्कैन की गई हुई प्रति और यदि आवेदक द्वारा एन०सी०सी० “बी” श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण है तो जारी मूल प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

1-5

, d | s vf/kd vKlüykbLu vkonu&i = Hkj us | c/kh fun&k %

ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन—पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं? यदि आवेदक द्वारा “हॉ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन—पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन—पत्र ही मान्य होगा। विकल्प “हॉ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाइल नंबर/ई—मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन—पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन—पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

1-6

vKlüykbLu vkonu i = ds | kfk Qks/ks , oagLrk{kj | yXu djus | c/kh fun&k %

(i)

ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मांपदड़ के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(ii)

फोटोग्राफ vkonu Hkj us dh frffk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा Qks/kxkQ i j f[kpokus dh fnukd o vkond ds uke dk Li "V mYysfk gkuk pkfg; A

(iii)

यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियों सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

1-7 **vklykblu vkonu Hkjus ds | cik ei funfk %**

- 1-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 12.06.2014 से दिनांक 11.07.2014 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। vkond }kj k Hkj s tkus okys vkonu i = e jkT; ,oa ftys dk fooj.k ehuw ds ek/; e I s i klr gkxkA ftI I s Hkfo"; e vko'; drkuq kj jkT; ,oa ftys dh vko'; d tkudkj h i klr dh tk I dA i gpku i = ds ehuw e ernkrk i gpku i =] i udkM] vkkj dkM] M; fo x yk; I d] QksVks Dr vdl ph rFkk i kl i kV] vH; Fkhz ftI fo ky; e v/; ;ujr gS ml fo ky; ds i kpk; Z I s vH; Fkhz dk QksVks Dr i gpku i = I R; kfir fd; k x; k dk i ko/kku j [kk x; k gS ; fn vkond }kj k vU; i gpku i = p; u fd; k tkrk gS rks og nLrkost dkSu I k gS bl dh tkudkj h vfrfjDr I g&vkbMh ds : i e i nku djuh gkxkA vkond dks vkonu i = e 'kjhj ds LFkk; h fpIlg rFkk i jh{kks ds I e; i LrI fd; s tkus okys QksVks i gpku i = dk fooj.k rFkk Øekad vfuok; Z : i I s vfdr fd; k tkuk gkxkA buds vHkko e vkonu i = Lohdkj ugh gkxkA ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- 1-7-2 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :— (अ) इंटरनेट के अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

blyjuV ds ek/; e I s vklykblu vkonu QkeZ Hkjus dh fof/k %

- 1-7-2-1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** बिल्क कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत P.P.T 2014 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **funfk@Instructions** तथा परीक्षा fu; e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को बिल्क करें।

- 1-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन—पत्र में चाहीं गई समस्त जानकारियों को सही—सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन—पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

- 1-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन—पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन—पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन—पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल

शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :—

- क्रेडिट / डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

1-7-2-4 ØfMV@MfcV dkMz ds ek/; e I s i j h{kk 'kYd dk Hkxrku%&

आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट / डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट / डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

1-7-2-5 bVjuV cfdk ds ek/; e I s i j h{kk 'kYd dk Hkxrku %&

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

1-7-3 , e-i ll- vkluykbu fd; kld ds ek/; e I s vkonu Qkez Hkj us dh fof/k %&

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाहीं गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन—पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुसूच भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही—सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन—पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकेगा।

1-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट / डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन—पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन—पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन—पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समर्थ्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

1-8 fu/kkfj r frffk e\ tek fd, x, vkllykb\l vkonu i = e\ l \ kks\ku dh 0; oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

1-8-1 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोर्स्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

1-8-2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु.100/-—एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोर्स्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

1-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन—पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

1-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

1-9 vkllykb\l vkonu&i = dk fujLrhdj.k %&

एम०पी० ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

1-10 i jh{k\ i p\k&i = (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन—पत्रों के प्रवेश—पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो—भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को ‘रासा’ में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

iɒs k&i = i ॥r dʒus d̩l i fθ; k%&

ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश—पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश—पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन—पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1-11 i j h{kk 'kgj o i j h{kk I e; %& यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी

स.क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	स.क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
01	बैतूल	13	रीवा
02	इन्दौर	14	सतना
03	उज्जैन	15	शहडोल
04	भोपाल	16	ग्वालियर
05	होशंगाबाद	17	देवास
06	छिन्दवाड़ा	18	बालाघाट
07	छतरपुर	19	कटनी
08	सागर	20	बुरहानपुर
09	जबलपुर	21	टीकमगढ़
10	खण्डवा	22	सीधी
11	खरगोन	23	विदिशा
12	रत्लाम	24	गुना

अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 10:00 से दोपहर 01:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश—पत्र पर अंकित होगी।

1-12 ज्ञानकीय प्रश्न

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रु. 400/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी (मध्यप्रदेश के मूल निवासी)/ निःशक्तजन के लिये रु. 200/- निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 70/- अतिरिक्त देय होगा।

1-13 ज्ञानकीय प्रश्न

प्रवेश-पत्र, काला बॉलप्याइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट, अभ्यर्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत है उस विद्यालय के प्राचार्य से अभ्यर्थी का फोटोयुक्त पहचान पत्र सत्यापित किया गया में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह-आईडीO के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

1-14 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

1.15 लिखित परीक्षा का विवरण :-

सं. क्र.	दिनांक	प्रश्न पत्र	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	24.08.2014 (रविवार)	प्रश्न पत्र	03 घंटे	प्रातः 10:00 से दोपहर 01:15 बजे	150

इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा, प्रश्न पत्र में भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के 50-50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ0एम0आर0 उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

1.16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

१/१ परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

१/१ अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

१/१ परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

१/१ परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

१/१ अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

१०% अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।

१०५ प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

$\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

१४½ सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

$\frac{1}{4} \text{ } \frac{1}{2}$ सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

अधिकारियों/ अधिकारियों को प्रेशन करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपाजायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

१४५ परीक्षार्थियों द्वारा ओ०एम०आर० उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ०एम०आर० उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ०एम०आर० उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू०एफ०एम० समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत य०एफ०एम० मान्य करते हए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

१८½ परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी प्रकरण दर्ज किये जाने अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यूएफोएम० प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

1.17 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

1-18 =fVi wkl i t u] ml dk fuj Lrh dj .k , o@ cnys e@ fn; k x; k vd %

परीक्षा उपरांत मण्डल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

- 1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- 2- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- 3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- 4- कोई भी विकल्प सही न हो।
- 5- यदि प्रश्न—पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न—भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- 6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- 7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न—पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$90 \times 150$$

$$\frac{——}{(150 - 2)} = 91.216 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :— सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

1.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :—

प्रश्न—पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप 12 एवं 13 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। बिन्दु क्रमांक 1.18 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न—पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ—साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी। आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

1-20 i j h{k k i f j .k k e dk i dk' ku %

परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ—साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे। अध्याय—1, 2, एवं 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

1-21 vd | iph %

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से

डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

1-22 fyf[kr i j h{kk e] fu% kDr tu vH; fFk; ka d[fy, mi yC/k | fo/kk, W%

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :—

1/1/ ; g | fo/kk fuEufyf[kr vH; fFk; ka d[ks i nku d[tkosxh %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

1/2/ i nku d[tkus okyh | fo/kk, W%

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :—

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 60 मिनट

2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 50 मिनट

2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 40 मिनट

1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 30 मिनट

1/2/ ySku fyfi d[d[fu; fDr grq'kr%&

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

1/2/ bl d[vfrfjDr i nk; d[tkus okyh | fo/kk, W%

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

1-23 e-i z 0; kol kf; d i j h{kk e]My dk dk; l i d's k i j h{kk dk | pkyu , o a m l dk i f j . kke ?kkf"kr djuk ek= gksxh %&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

1-24 U; kf; d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

अध्याय—02

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में
सत्र 2014–15 के लिये प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सत्र 2014–15 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु जारी किये गये प्रवेश नियम निम्नानुसार है :-

2.1 सामान्य :

ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

2.2 परिभाषायें :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: –

1. श्रेणी: का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. व्यापम : का तात्पर्य है व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
4. प्राचार्य: का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
5. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
6. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.
7. “संयुक्त प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अर्थात् प्री-पोलीटेक्निक टेस्ट;
8. “व्यावसायिक संस्थान” से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती हैं;
9. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.

10. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
11. वर्ग का तात्पर्य है इन चारों वर्गों में एक उदाहरणीय (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FP), विकलांग (H), बिना वर्ग (X).
12. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी।
13. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी।
14. "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों" से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगे, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल—निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, दिया जावेगा।
- 2.3 **लागू होना:-** ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।
- 2.4 **प्रवेश नियम:-**
समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—
- 2.41 **स्थानों की उपलब्धता**
संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :-

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत सत्र 2014–15 के लिये
1	मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय	95 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/www.mptechedu.org पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में

दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी ।

2.4.2 स्थानों का आवंटन /आरक्षण

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा ।

टिप्पणी :

- (अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है ।
(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप 3 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2011 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/आ.प्र./एक, दिनांक

12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण :**

समस्त शासकीय/स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-9 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं काश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप- 10 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(ड.) **एन.सी.सी. "बी" श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण :-**
मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. के "बी" श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शासकीय/अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में दो प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(घ) **शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tuition Fee Waiver Scheme):-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों

द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

(d) क्षौतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) :

अ) शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रमशः 5 व 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

सैनिक वर्ग (S) :-

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलाग हो गये हो। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण—पत्र इस नियम पुस्तिका के अध्याय –4 में दिये गये निर्धारित प्रारूप–4 भाग ‘अ’ में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण—पत्र प्रारूप –4 भाग “ब” में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है (प्रमाण पत्र प्रारूप –5 में) एवं उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण—पत्र प्रारूप–7 में प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को दोनों प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अथवा

वह 1 जनवरी 2014 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का /की पुत्र/पुत्री है (प्रमाण पत्र प्रारूप–5 में)।

टिप्पणी: सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं । इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत हैं ।

टिप्पणी: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले कलेक्टर से प्रारूप-6 मे प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा ।

बिना वर्ग (Nil Class) (X) :

जो उम्मीदवार उपरोक्त वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत “बिना वर्ग” (X) का उम्मीदवार माना जावेगा ।

(ब) महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में समस्त सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में महिला उम्मीदवारों हेतु प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का ‘कम्पार्टमेंटलाइज्ड’ क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा ।

महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा । महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में सिर्फ महिला उम्मीदवार को ही पात्रता होगी, किन्तु मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्र./एफ-5-5/2007/42/1, दिनांक 10.2.2009 द्वारा राज्य की शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, खरगौन, बुरहानपुर, सागर, पन्ना नरसिंहपुर एवं भिण्ड को सहशिक्षा में परिवर्तित किया गया है । तथा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त पात्र महिला उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उपरान्त यदि कोई स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें पुरुष उम्मीदवारों से भरा जावेगा ।

किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरुष उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जावेगे ।

(स) विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षण :

40 एवं अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी :-

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरुद्ध विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

- (अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा
(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

(ण) मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को अतिरिक्त सुविधा:-

यदि किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों का आवंटन किया जा सकेगा परंतु उन्हें ब्रांच का आवंटन प्रवेशित संस्था में उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

टिप्पणी : “गरीबी रेखा” के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण—पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(त) एन.आर.आई. (NRI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम दिनांक 'प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

(थ) स्थानीय (जिला एवं संभाग) स्तर पर आरक्षण:

संभाग के शासकीय/अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में उस संभाग के मूल निवासियों के लिए प्रवेश में 10 प्रतिशत स्थान तथा जिले के शासकीय/अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में उस जिले के मूल निवासियों के लिए प्रवेश में 25 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण रहेगा।

2.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :

- 1) जो भारत का नागरिक हो
- 2) शैक्षणिक अर्हता

सभी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नालिखित में से कोई भी एक परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक हैः—

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा

नोटः—

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी तथापि उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जावेंगे।
2. पीपीटी-2014 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2013-14 में सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करना होगी।
3. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू-काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) को पात्रता होगी :

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र प्रारूप-7 अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये उपरोक्त पत्र में वर्णित निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी—

- 1) आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरन्तर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो (मूक, बधिर, अन्ध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)
- 2) आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो।
- 3) आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरन्तर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो।
- 4) आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/ निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो।
परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1) अथवा (2) अथवा (3) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा।
- 5) आवेदक केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्षों से सेवारत शासकीय सेवक हो।
- 6) आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।

- 7) आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर माहमहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।
- 8) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं, को मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण—पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा जिसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की गई हो।

स्पष्टीकरण—1 अभिभावक :-

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक / नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—2 दत्तक पुत्र/पुत्री :

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता है तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2.4.4 प्रवेश की रीति

राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। प्राधिकृत

अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण / प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिकृत मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली **पीपीटी-2014** प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।

2.5 प्रवेश की प्रक्रिया

2.5.1 ऑन लाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Online Off Campus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.5.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-

2.5.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन – अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

2.6.1 पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में पी.पी.टी. 2014 आयोजित की जावेगी। प्रश्न पत्र में भौतिकी एंव रसायन शास्त्र विषय के 50–50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे।

2.6.2 प्रवेश परीक्षा (पी.पी.टी.) अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पी.पी.टी.-2014 प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप 11 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

2.6.3 योग्यता क्रम सूचियां

2.6.3.1 उम्मीदवारों द्वारा पी.पी.टी.-2014 में प्राप्तांकों के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियाँ (Common Merit Lists), के साथ-साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये **श्रेणीवार/वर्गवार** अलग-अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

2.6.3.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)
पी.पी.टी. 2014 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी –
समान अंक प्राप्त होने पर गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।

टिप्पणी:-

1. गणित विषय में भी समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।
2. 1.6.2 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

2.6.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

2.6.4.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित सीटों के लिये प्रवेश केवल PPT- 2014 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

2.6.4.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को व्यापम द्वारा तैयार की गई **योग्यता क्रम सूची** के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

2.6.4.3 समर्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.dtempcounselling.org / www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

2.6.4.4 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

2.6.4.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.6.4.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

2.7 प्रवेश का क्रम :-

1.7.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों** सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

2.7.2 **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों** के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति।

2.7.3 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी हैं को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

2.7.4 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक—पृथक अथवा साथ—साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि रथान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

2.8 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा **तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।**

(2) **यदि अभ्यर्थी अपना प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक रद्द करवाता है तो अभ्यर्थी द्वारा संस्था में जमा की गई शुल्क की राशि में से ` 1000/- की कटौती कर, शेष समस्त राशि वापिस कर दी जाएगी। तथापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। **उपरोक्त तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।****

(3) रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति :-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसिलिंग

(यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

2.9 शिक्षण तथा अन्य फीस :-

राज्य शासन ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय—समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

2.10 उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.11 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.12 क्षेत्राधिकार—

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org / www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

अध्याय—03

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2014–15 के लिये प्रवेश नियम

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम—2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियमः—

3.1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवेश नियम, 2008 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त हैं एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हैं।

3.2. परिभाषाएँ—

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);

(ख) “समुचित प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;

(ग) “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;

(घ) “ए.आई.सी.टी.ई.” से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;

(ड.) “उपाबंध” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(च) “सामान्य प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;

(छ) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(छ—1) “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई. इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस आदि)“

(ज) “फीस” से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

- (झ) "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115—ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;
- (ज) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;
- (ट) "सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;
- (ठ) "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;
- (ड) "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;
- (ढ) "एकल खिड़की प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;
- (ण) "व्यापम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;
- (त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैं:-

1. "डी.टी.ई." से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
2. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
3. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;
4. "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों" (TFW) से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगे, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, दिया जावेगा।
5. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे

है वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान। प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल-निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल-निवासियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

3.3. लागू होना:-

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा **डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं पर लागू होंगे।**

3.4. प्रवेश नियम:-

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

3.4.1 स्थानों की उपलब्धता-

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:-

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाएं	<p>अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत।</p> <p>ब) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये आपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)।</p> <p>स) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)।</p>

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ www.mptechedu.org पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी ।

3.4.2 स्थानों का आवंटन /आरक्षण—

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे । विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

टिप्पणी :

- (1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है ।
- (2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप 3 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2011 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण :

कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए निजी क्षेत्र की संस्थानों में एक—एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-9 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं काश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-10 में प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) **शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट**

(Tuition Fee Waiver Scheme):-

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की

योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

(ड) एन.आर.आई. (NRI) सीटें:-

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

3.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :

- 1) जो भारत का नागरिक हो
- 2) शैक्षणिक अर्हता

सभी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नालिखित में से कोई भी एक परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक हैः—

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा

नोट:-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी तथापि उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस के अंक नहीं जोड़े जावेंगे।

2. पीपीटी–2014 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2013–14 में सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करना होगी ।
3. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा ।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:—

1. जो भारत का नागरिक हो ।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण—पत्र प्रारूप—7 अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये उपरोक्त पत्र में वर्णित निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी—

 - 1) आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरन्तर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो (मूक, बधिर, अन्ध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)
 - 2) आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो ।
 - 3) आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरन्तर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो ।
 - 4) आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो ।
परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1) अथवा (2) अथवा (3) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा ।
 - 5) आवेदक केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्षों से सेवारत शासकीय सेवक हो ।

- 6) आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आर्वांटित अधिकारी हो।
- 7) आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर माहमहिम राष्ट्रपति / महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।
- 8) भूतपूर्व सैनिक जिन्होनें मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं, को मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण—पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा जिसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की गई हो।

स्पष्टीकरण—1 अभिभावक :-

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक / नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—2 दत्तक पुत्र/पुत्री :

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता हैं तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

3.4.4 प्रवेश की रीति

राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिकृत मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पीपीटी-2014 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।

3.5 प्रवेश की प्रक्रिया

3.5.1 ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया *(Online Offcampus Admission Procedure):*

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियाँ (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

3.5.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

3.5.3 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन –

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

3.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

3.6.1 पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में

पीपीटी 2014 आयोजित की जावेगी। प्रश्न पत्र में भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के 50—50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे।

3.6.2 प्रवेश परीक्षा (पी.पी.टी.) अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पीपीटी—2014 प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारूप 11** में प्रमाण—पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मोप्रो शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3.6.3 योग्यता क्रम सूचियां

3.6.3.1 उम्मीदवारों द्वारा पी.पी.टी. —2014 में प्राप्तांकों के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियाँ (Common Merit Lists), के साथ—साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये **श्रेणीवार/वर्गवार** अलग—अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

3.6.3.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)
पी.पी.टी. 2014 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी –
समान अंक प्राप्त होने पर गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।

टिप्पणी:-

1. गणित विषय में भी समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।
2. 2.6.2 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

3.6.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

3.6.4.1 सामान्य पूल सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित सीटों के लिये प्रवेश केवल PPT-2014 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

3.6.4.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को व्यापम द्वारा तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

3.6.4.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.dtempcounselling.org / www.mpchedu.org पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

3.6.4.4 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

3.6.4.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

3.6.4.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

3.7 प्रवेश का क्रम :-

3.7.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान समान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से भरे जाएंगे।

3.7.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर प्रवेश नियम-2008 (यथा संशोधित) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरने की अनुमति दी जावेगी।

3.7.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप

से परिवर्तित किए जा सकें:— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति.

- 3.7.4 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी हैं को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

- 3.7.5 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी..

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी हैं को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकां के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

3.8 प्रवेश का रद्द किया जाना:—

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी अपना प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक रद्द करवाता है तो अभ्यर्थी द्वारा संस्था में जमा की गई शुल्क की राशि में से 1000/- रु. की कटौती कर, शेष समस्त राशि वापिस कर दी जाएगी। तथापि परामर्श (काउन्सिलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। **उपरोक्त तिथि** के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल काँशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।

(3) **रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति :-**

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउन्सिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

3.9 **शिक्षण तथा अन्य फीस :-**

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय—समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का शिक्षण शुल्क अधिकतम 1.50 लाख प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये देय होगा एवं संस्था विशेष उपर्युक्त सीटों पर इससे कम शिक्षण शुल्क पर भी प्रवेश दे सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा परन्तु संबंधित संस्था द्वारा इस आशय की अग्रिम सूचना समिति को तथा सक्षम प्राधिकारी को देना होगी।

3.10 **नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरण:-**

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

3.11 अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यक्ति कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

3.12 **पाठ्यक्रम:-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम तालिका में दिए गए हैं।

3.13 **निर्वचन:-**

इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

2.14 **अधिकारिता:-**

किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org एवं www.mpchedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

प्रमाण—पत्रों के प्रारूप
उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र
(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम	:
पिता का नाम	:
अनुसूचित जाति/जनजाति (अनु.का क्रमांक)	:
धर्म	:
व्यवसाय	:
पता	:
	
	

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि –

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत जिला.....(म.प्र.) के लिये घोषितअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की सदस्य हूँ।
2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारीके समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांकको प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी – जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण—पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....	जिला.....	मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....	प्रकरण क्रमांक.....	
प्रमाण पत्र क्रमांक.....		

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पिता/पति का नाम.....
..... निवासी ग्राम/नगर..... वि.खं.....
..... तहसील..... जिला..... संभाग.....
..... के..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और
इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के
संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और
यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)
अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..... पर
अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....
..... पिता/पति का नाम.....
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए..... है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।
(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण—पत्र मात्र होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....	जिला.....	मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....	प्रकरण क्रमांक.....	
प्रमाण पत्र क्रमांक.....		

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी
ग्राम/शहर..... तहसील..... जिला..... मध्य प्रदेश के
निवासी हैं, जो..... जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम
जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84,
दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन,
दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है
और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के
जिला..... संभाग..... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3
में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8
मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी..... के
परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..... है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन कर
चुका है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

**सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी**

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम).....
द्वारा संचालित (प्रवेश परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम
में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी..... के
पिता/माता है—

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के
समय वेपद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक.
.....था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर
सर्विस क्रमांक.....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे
स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो
चुकी है।

LFkku %

ftyk | fud dY; k.k vf/kdkjh ds

gLrk{kj

दिनांक:

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम).....
द्वारा संचालित (प्रवेश परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम
में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी..... के
पिता/माता है—

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में
ओहदे पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है
और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक.....
से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में के
ओहदे पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा
कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

LFkku %

gLrk{kj % vkfQI j dekfMx

fnukd%

%dk; kly; I hy%

**भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....	दिनांक.....
मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी (उम्मीदवार का नाम).....
जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम).....
द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)	वर्ष..... के
आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से.....	पर (पाठ्यक्रम का नाम).....
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री / कुमारी..... के पिता / माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से.....(स्थान) तहसील.....
जिला..... में व्यवस्थापित हो गये हैं।

LFkku % ----- ftyk
 I fud dY; k.k vf/kdkjh ds gLrk{kj
 दिनांक: (कार्यालय सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....(उम्मीदवार का नाम) श्री/श्रीमती.....(उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) के/वैध (स्महपजपञ्जम) पुत्री/पुत्र है जो श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/वैध (स्महपजपञ्जम) पुत्री/पुत्र है।

2. श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला(जिले का नाम) में संधारित (डंपदजंपदमक) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (त्महपेजमत) में क्रमांक.....पर पंजीकृत है।

LFkku %

gLrk{kj dyDVj

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण—पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार
 टप्पा/तहसील..... जिला.....
 प्र.क्र. वर्ष..... दिनांक.....

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का
 पासपोर्ट साईज का
 फोटो लगाया जाये जो
 प्राधिकृत अधिकारी
 द्वारा सत्यापित
 किया जाये

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु.....
 पिता/पति..... निवासी.....
 तहसील..... जिला..... (मध्यप्रदेश).
 राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के लिये
 प्रभावशील ज्ञाप दिनांक..... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक
 की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक...
दिनांक के अधीन आवदेक द्वारा दिये विवरण अनुसार की
 पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैः—

टीपः— यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की
 जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राहय नहीं होगा।
 (आवदेक द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार
 तहसील.....
 जिला.....

*लागू न होने पर काट दें।

- यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेगा।

मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

जो द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
..... वर्ष.....

के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये
उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.....का/की
पुत्र/पुत्री है, जो.....योजना के तहत मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत
पुर्नव्यवस्थापन योजना (त्वेमजजसमउमदज'बीमउम) है।

स्थान :.....

हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

Office of the Zonal Officer
TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that

S/o or D/o

R/o Tehsil

District..... A/P.....

Pin is registered from No.

R/Card No..... At
S. No. of his/her father ration card issued
from this zone.

Seal of Tehshildar

Zonal Officer / Tehshildar

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण
हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/आत्मजा/श्री जो द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष.....
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के
विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री..... (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता
श्री/श्रीमती..... मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/ कर्मचारी है
जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक
से दिनांक तक (स्थान का नाम) में
रही है ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
(सील)

**राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र**

संदर्भ क्रमांक दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
 आत्मज/आत्मजा/ श्री ने वर्ष की
 में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल
 विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित
 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण
 पदक अर्जित किया है ।

स्थान
 दिनांक

संचालक
 खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
 हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :- ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य
 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा ।

(देखें नियम 1.18 एवं 1.19)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
 (नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
 मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
 आवेदक का नाम.....

स्थान
 दिनांक

प्रारूप-13

(देखें नियम 1.18 एवं 1.19)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता.....

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक

तालिका-1

सत्र 2014–15 में विभिन्न पोलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार एवं ब्रांचवार सीटों की संख्या

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH				
DISTRIBUTION OF SEATS IN PPT COURSES FOR THE SESSION 2014-2015				
GOVERNMENT INSTITUTIONS/ AUTONOMOUS INSTITUTIONS/ AIDED INSTITUTIONS				
S.NO.	INSTITUTE NAME	INSTITUTE TYPE	BRANCH	INTAKE
1	Alirajpur	GOVT	ET	60
			Civil	60
2	Anuppur	GOVT	ET	60
			Comp	60
3	Ashoknagar	GOVT	Civil	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
4	Badwani	GOVT	Comp	60
			IT	30
			Civil	30
			Computer Hardware Maintenance	30
			Refrigeration and Air Conditioning	30
5	Balaghat	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
6	Betul	GOVT	Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
7	Bhind [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
			CE	60
8	Bhopal (Govt. Women's Polytechnica College)	G.I.	Comp	60
			ET	60
			Architecture and Interior design	60
			Interior Decoration and design	60
9	Bhopal (Sardar Vallabh Polytechnic College)	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	55
			Elect	65
			ET	65
			IT	55

			Mech	60
			CTM	60
			Architectural Assistantship	60
			Production Engg	60
10	Burhanpur [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Civil	30
			Comp	60
			ET	60
			Mech	30
11	Chhindwara [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
			EEE	30
12	Dabra	GOVT	Comp	60
			Elect	60
			ET	60
13	Damoh	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
14	Datia	GOVT	ET	60
			Elect	60
15	Dewas	GOVT	Mech	60
			ET	60
16	Dhar	GOVT AUTONOMOUS	Comp	60
			IT	60
17	Dindori	GOVT	Civil	60
			Comp	60
18	Gwalior (B.R.Ambedkar Polytechnic College)	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			IT	60
			Mech	60
			Textile Tech	60
19	Gwalior (Govt. Women's Polytechnic College)	G.I.	Comp	60
			IT	60
			Textile Design	60
			Interior Decoration and design	60
			ET	60
20	Harda	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
21	Indore (Shri Vaishnav Polytechnic College)	GOVT AIDED	Civil	60

			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
			Production Engg	60
			Textile Tech	60
			Opto Electronics Engg	60
			Automobile Engg	30
			Ophthalmic Tech	60
22	Indore (Women's Polytechnic College)	G.I. AUTONOMOUS	Comp	60
			Architecture and Interior design	60
			Interior Decoration and design	60
23	Itarsi	GOVT	ET	60
			Mech	60
24	Jabalpur (Govt. Women's Polytechnic College)	G.I.	Comp	60
			ET	60
			Food Tech	60
25	Jabalpur (Kala Niketan Polytechnic College)	GOVT AUTONOMOUS	Civil	59
			Comp	56
			Elect	60
			ET	60
			IT	56
			Mech	60
			Printing Tech	60
			Automobile Engg	60
26	Jaora	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
27	Jatara	GOVT	Civil	60
			ET	60
28	Jawad	GOVT	ET	60
			Mech	60
29	Katni	GOVT	Mech	60
			Comp	60
30	Khandwa	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
			Refrigeration and Air Conditioning	60
31	Khargone [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
			ET	60

			IT	60
32	Khirsadoh	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
			IT	60
33	Khurai	GOVT	Civil	60
			Elect	60
			Mech	60
34	Mandsaur	GOVT	ET	60
			Comp	60
			Digital Systems	60
35	Morena	BOYS	Comp	10
			ET	10
			Elect	10
			Mech	10
36	Narsinghpur [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
			ET	60
37	Nasrullaganj	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
38	Nowgong	GOVT AUTONOMOUS	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
39	Pachore	GOVT	Elect	60
			Mech	60
40	Panna Poly [Special Co-Ed Polytechnic College]	G.I._GOVT	Comp	60
41	Pawai	GOVT	Civil	60
			Mech	60
42	Raghogarh	GOVT	EI	60
			Comp	60
			Mech	60
43	Raisen	GOVT	ET	60
			Civil	60
			Mech	60
44	Rajgarh	GOVT	Civil	60
			ET	60
45	Rewa	GOVT	ET	60
			Computer Hardware Manintenance	60
46	Sagar [Special Co-Ed Polytechnic	G.I._GOVT	Comp	60

	College]			
			ET	60
			Architecture and Interior design	60
47	Sanawad	GOVT	Civil	60
			Computer Hardware Manintenace	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	60
48	Satna	GOVT	Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
			Cement Tech	60
49	Sendhwa	GOVT	Civil	60
			ET	60
50	Seoni	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
51	Shahdol	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
52	Shajapur	GOVT	Elect	60
			Mech	60
53	Sheopur	GOVT	Mech	60
			Comp	60
			Computer Hardware Manintenace	60
54	Shivpuri	GOVT	ET	60
			Comp	60
55	Sidhi	GOVT	ET	60
			Comp	60
56	Sironj	GOVT	Civil	60
			Comp	60
			ET	60
			Mech	60
57	Tikamgarh	GOVT	Comp	60
			Mech	60
58	Ujjain	GOVT AUTONOMOUS	Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			IT	60
			Mech	60
			CTM	60
			Chemical Engg	60

			Refinary and Petro Chemical (Petroleum Technology)	60
			Plastic Tech	60
59	Umaria	GOVT	Mech	60
			Elect	60
60	Vidisha (SATI Polytechnic College)	GOVT AIDED	Civil	60
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			IT	60
			Mech	60
			Automobile Engg	60
			Chemical Engg	60
			Refinary and Petrochemical Engg	60
61	Waidhan	GOVT	Comp	60
			Elect	60
			Mech	60
			Civil	45
			ET	60
Total				12916

SELF FINANCING INSTITUTIONS

62	Univesity Polytechnic College, RGPV, Bhopal	SELF_Financing	Civil	60
			Mech	60
			Elect	60
			ET	60
Total				240

PRIVATE INSTITUTIONS

63	Alia Polytechnic College, Bhopal	PRIVATE	Civil	120
			Comp	60
			Elect	60
			ET	60
			Mech	120
64	Ideal Institute of Information Technology, Gwalior	PRIVATE	Civil	120
			Mech	120
65	Jaypee Polytechnic and Training Centre, Rewa	PRIVATE	Comp	40
			ET	40
			Mech	40
66	RAMNATH SINGH INST OF TECH & SC, GWALIOR	PRIVATE	Civil	60
			Comp	60
			ET	60
			IT	60
			MECH	60
Total				960
PRIVATE INSTITUTIONS (Second Shift)				

2	Aditya College of Technology & Science, Satna	PRIVATE	Cement	60		
			Mech	60		
3	IES College of Technology, Bhopal	PRIVATE	ET/EC	60		
			Mech	60		
4	ITM Group of Institution, Gwalior	PRIVATE	Civil	60		
			Elect	60		
5	Jawaharlal Nehru College of Technology, Rewa	PRIVATE	Civil	60		
			Mech	60		
6	PATEL GROUP OF INSTITUTION (Patel College of Science & Technology, Bhopal)	PRIVATE	ET/ECE	60		
			Mech	60		
			Comp	60		
			IT	60		
7	Prestiage Institute of Engineering & Science, Indore	PRIVATE	Civil	60		
			Mech	60		
8	Radhaswami Institute of Technology, Jabalpur	PRIVATE	Civil	60		
			Mech	60		
9	Shri Balaji Institute of Techonlgy & Management, Betul	PRIVATE	Civil	60		
			Mech	60		
Total				1080		
GRAND TOTAL						

नोट:- एआईसीटीई / राज्य शासन के निर्णयानुसार तत्समय तालिका में दर्शाई गई सीटों की संख्या परिवर्तनीय है।

G.I. = Girls Institution

v/; k; &05

i kB; Øe ¼l ycl ½

Hkkfrdh & ½0 it u½

xfr&

गति विस्थापन, एक समान तथा असमान गति, चाल और वेग, त्वरण गति के समीकरण ।

cy&

बल, पिण्ड का जड़त्व, सन्तुलित बल, असंतुलित तथा त्वरण पिण्ड का द्रव्यमान, त्वरण और बल में संबंध, क्रिया और प्रतिक्रिया बलयुग्म ।

xq Rokd"kl k&

गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वीय त्वरण, स्थित विद्युत बल, चुम्बकीय बल ।

dk; &

बल द्वारा सम्पादित कार्य, कार्य और उर्जा में संबंध, गतिज उर्जा, स्थितिज उर्जा, संरक्षण नियम शक्ति ।

rjx xfr&

तरंग की प्रकृति, माध्यम में तरंगों का संचरण, तरंगों के प्रकार, अनुदैर्घ्य, सरल आवर्त, गति ग्राफी निरूपण का आयाम, तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में संबंध, तरंगों को परावर्तन तथा अपवर्तन, अनुप्रस्थ तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम तरंगों के संचरण में उर्जा का स्थानान्तरण, प्रकाश और ध्वनि तरंग, उर्जा बहार के रूप में ।

ekuo us=&

मानव नेत्र द्वारा प्रकाश तरंगों में वाहित उर्जा का अवगम, मानव नेत्र की संरचना एवं कार्यविधि नेत्र लेंस की फोकस दूर, रेटिना (दृष्टि पटल) पर प्रतिबिम्ब का बनाना, दृष्टिकोण निकट दृष्टि एवं दूरदृष्टि दोषों का निवारण वर्ण अवगम श्वेत प्रकाश का संगठन, विभिन्न वर्णों का तरंग दैर्घ्य, वस्तुओं का रंग, नेत्र में संवेदि कोशिकाएं शलका और शंकु, अंध बिन्दु वर्णन्धता ।

nj n' kl&

रचना और कार्यविधि सूक्ष्मदर्शी रचना एवं कार्यविधि ।

m"ek&

उर्जा का रूप यांत्रिकी कार्य और उष्मा, उष्मा और ताप-मापन, उष्मा के प्रभाव, उष्मीय प्रसार एवं अवस्था परिवर्तन ।

fo | फॉ &

उर्जा का एक स्त्रोत, चालक एवं प्रतिरोधक, धारा विभवान्तर और प्रतिरोध का मापन तथा इनमें संबंध। विद्युतधारा का उष्णीय प्रभाव उष्णीय विद्युत धारा, प्रतिरोध और धारा प्रवाह समय में परिणात्वमक संबंध, धारा के उष्णीय प्रभाव पर आधारित सचित्र उर्जा का मापन मात्रक एवं पावर।

fo | फॉ /kkjk ds pcfdh;
i हिक्को

विद्युतवाही चालक कुंडली और परितालिका का चुबंकीय क्षेत्र, विद्युत मोटर अनुप्रयोग, विद्युत चुबंकीय प्रेरणा, विद्युत जनित्र दृष्टि धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा (प्रारंभिक ज्ञान)।

?kj syw fo | फॉ i fj i Fk &

वायरिंग फ्यूज, संभावित संकट और सुरक्षात्मक उपायों का प्रारंभिक ज्ञान।

mtkl

सूर्य उर्जा के स्त्रोत के रूप में पृथ्वी द्वारा और उर्जा का अवशेषण, सौर उष्मक, सौर सेल, पवन चक्री, जल विद्युत उत्पादन समुद्री तरंगों से विद्युत।

नाभिकीय उर्जा, नाभिकीय विखण्डन से विद्युत उर्जा परमाणु शक्ति संयंत्र, अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण, अवशिष्ट पदार्थ, जैब अवर्कर्षणीय, नाभिकीय तथा रेडियो एकिटव अवशिष्ट पदार्थ का समुचित विकास, विकिरण संकट, रेडियो एकिटव अवशिष्ट के हानिकारक प्रभाव रेडियो एकिटव के समुचित भंडारण की तकनीक। अंतर्दहन इंजन के प्रकार, अंतर्दहन इंजन का कार्य सिद्धान्त, उर्जा संकट के कारण एवं उनके निवारण हेतु उपाय, उर्जा अपव्यय की रोकथाम, उर्जा के गैर परंपरागत स्त्रोंतों का उपयोग।

fo' o

i Foh— भौतिक एवं जैविक अवयव, वायुमंडल उत्पत्ति से अब तक हुए परिवर्तन, जीवन की उत्पत्ति तथा निर्वाह में सौर उर्जा की भूमिका।

i k̄ eMy—ग्रह तथा उपग्रह सौर मंडल की संरचना पृथ्वी सहित ग्रहों की आयु।

fo' o— सौर मण्डल आकाश गंगा, युक्ति गैलेक्सिक, प्रसारी विश्व की उत्पत्ति बिग बैंक सिद्धान्त।

vrfj {k vUos{k.k— अंतरिक्ष अनवेषण का इतिहास अंतरिक्ष विज्ञान के अनुप्रयोग—कृत्रिम उपग्रह संचार, मौसम का नियंत्रण अन्य ग्रहों तथा बाह्य अंतरिक्ष संबंधित सूचनाओं का संगहण।

j | k; u& ½ ० i t u ½
nθ; &i dfr , oaθ; ogkj

flkUu flkUu i nkFkkJ , oa i dfr , oa 0; ogkj

तत्व यौगिक एवं उनमें मिश्रण, द्रव्य की संरचना, अणु एवं परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रान, प्रोट्रान, न्यूट्रान नाभिकीय संगठन—परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, परमाणु की विभिन्न उर्जा स्तरों में इलेक्ट्रान वितरण संयोजी इलेक्ट्रान एवं संयोजकता परमाणु द्रव्यमान एवं आण्विक द्रव्यमान, मोल संकल्पना, यौगिकों का प्रतिशत संगठन।

jkl k; fud ck vk; fud , oa l g l a ksth

बंध का बनना, आयनिकों एवं सह संयोजी यौगिकों के मुख्य गुणधर्म।

Hkkfrd , oajkl k; fud ifjorlu-

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अन्तर संयोजी अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं, मद एवं तीव्र अभिक्रियाएं उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, रासायनिक समीकरण, उष्माक्षेपी और उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं।

fo | r jkl k; fud | sy&

साधारण वोल्टीय सेल की रचना विद्युत रासायनिक सेल की कार्यविधि, सीस संचालक बेटरी एवं शुष्क सेल।

fo | r vi ?kVu&

विद्युत अपघटक में आयनों का संचलन, विद्युत अपघटक में निष्केपित धातु की मात्रा का धारा एवं समय से संबंध विद्युत लेपन।

rRok dks oxhdj . k%&

तत्वों के गुणों में समानताएं एवं असमानताएं, आवर्ती नियम, आवर्त एवं समूह, आवर्त समूहों में तत्वों के गुणों की क्रमिकता, आवर्त सारणी में तत्वों को पूर्वानुमान। जैव उर्जा जैव (Biomass) इंधन के रूप में जैव मात्रा। बायोगेस जीवश्म इंधन के स्त्रोत कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम।

ईंधन के प्रकार—

ईंधन का उर्जा, ठोस द्रव और गैसीय ईंधन के अभिलक्षण, दहन हेतु प्रतिबंध, दहन में उत्पन्न उष्मा सजीव में भोजन का दहन।

I rfyr vkgkj dh vko'; drk&

कार्य की प्रकृति तथा आहार पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं कार्य, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा विटामिन एवं खनिज लवण आदि कार्बोहाइड्रेट, वसा विटामिन तथा खनिज लवण स्त्रोत पोषक अल्प पोषण (न्यूनता) उत्पन्न रोग एवं उनके लक्षण, प्रोटीन उर्जा कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण, रोग के लक्षण अपर्याप्तता के कारक नियंत्रक अतिपोषण के स्थूलता एवं अन्य जटिलताएं कुप्रभाव हृदय वाहिका संबंधी उत्क्रम विकार दांतों का कार्वरण (Mottling) तथा फ्लूरोसिस अति विटामिनता (Hypervitaminosis) एल्कोहन, धूम्रपान, दवाओं तथा मादक पदार्थ की लत से उत्पन्न अक्रम विकार।

खनिज चक्र—

कार्बन चक्र कार्बन और उसके यौगिक की भूमिका, नाइट्रोजन-चक्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन प्रक्रम, जल चक्र, विभिन्न चक्रों में उर्जा की भूमिका।

परिस्थितिकी संतुलन—

संतुलन बिगड़ने में मानव की भूमिका परिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिये प्रयास। माध्यमिक जल विलायक के रूप में संतृप्त एवं असंतृप्त समुद्री जल जीवों के आवास के रूप में लवण, जल के उपयोग।

वायु—

विकिरण से सुरक्षा में वायुमंडल की भूमिका, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में जल एवं अन्य कणिकीय द्रव्य कॉर्बन डाई ऑक्साइड एवं उसका जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव वृक्षों की भूमिका, जीवाश्म ईंधन एवं स्वचलित वाहनों द्वारा कार्बन डाईऑक्साइट का उत्सर्जन धातुओं का संरक्षण, अम्लीय गैसों द्वारा ऐतिहासिक स्मारों की क्षति, जीवधारियों पर एस्वेस्टस धातुकणों इत्यादि का प्रभाव, कार्बन मोनो ऑक्साइड तथा इसका कुप्रभाव धूप कोहरा, वायु प्रदूषण और इसका मानव पर प्रभाव।

i kdfrd | d k/kuk| i j ekuo dh fuHkj rk&

पृथ्वी से प्राप्त खनिज धातु एवं अधातु, अधातुओं के उपयोग। कार्बन और उसके यौगिक कार्बन और हाइड्रोकार्बन के गुणधर्म, पेट्रोलियम उत्पाद, धातुओं का निष्कर्षण, तथा कुछ मिश्र धातुओं के गुणधर्म, धातु की अधातुओं तथा कुछ धातुओं के घरेलु एवं औद्योगिक उपयोग।

xf.kr& ½dy it u 50%

cht xf.kr

- (1) परिमित और अनन्त समुच्चय, उप समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, पूरक समुच्चय तथा उनका अनुप्रयोग।
- (2) पूर्णक के समुच्चय पूर्ण संख्याएं पूर्णक एवं परिमेय संख्याओं का पुनरीक्षण अपरिमेय संख्याओं का समाप्त होने वाले और पुनरावृत्ति न किए जाने वाले दशमलवों के रूप में परिचय। क्रणी का परिमेयकरण। वास्तविक संख्याएं तथा वास्तविक संख्यों के समुच्चय के गुणों का कथन।
- (3) प्रमेय और अनुप्रयोग, बहुपदों के गुणनखण्ड करने में जिसके घात चार से अधिक न हो बहुपदों महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य गुणनफल एवं भागफल विधि द्वारा हल।
- (4) दो चर राशियों के रेखिक समीकरण और उसका अरेख, दो चर राशियों की दो रेखिक समीकरण प्रणाली, समीकरणों की संगतता (कंसीस्टेंसी इनकंसीस्टेंसी) समीकरण प्रणाली के हल की बीजगणितीय विधि, विभिन्न क्षेत्रों में समीकरण प्रणाली के अनुप्रयोग।

{ks=fefr

आयत, वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खण्ड अथवा धनु, धनाभ, शंकु, बेलन एवं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।

f=dks kfefr

- (1) त्रिकोणमिति सर्वसमीकारं

उपरोक्त सूत्र पर आधारित सरल सर्वसमिकां पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात

- (2) उचाई और दूरी पर प्रश्न

T; kfefr

1/1 | e: i f=Hkqt%

1. यदि किसी त्रिभुज में भुजा के समानान्तर एक सरल रेखा खीची जाये तो वह अन्य दो भुजाओं को उसी अनुपात में विभक्त करती है।
2. यदि कोई त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करें तो यह तीसरी भुजा के समानान्तर होती है।
3. यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती है।
4. यदि दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज आपस में समान कोणिक होता है।
5. यदि त्रिभुज आपस में समान कोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होगें।
6. यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हों तो त्रिभुज समरूप होगें।
7. यदि दो त्रिभुजों में एक का कोण दूसरे के संगत कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजाएँ समनानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होगें।
8. यदि किसी त्रिभुज की शीर्ष से कण पर लंब डाला जाये तो लंब के दोनों और बनने वाले त्रिभुज आपस में समरूप होंगे और दिये हुए त्रिभुज के समरूप होंगे।
9. समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं पर बने वर्गों के अनुपात के समान होता है।
10. किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के अनुपात के होता है तो तीसरी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है।

1/2 | Orr%

1. यदि दो वृत्तों की त्रिज्यायें बराबर हों तो आपस में सर्वांगसम होगें।
2. यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हों तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती है, इसका विलोम।
3. यदि किसी वृत्त के केन्द्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करता है और इसके विपरीत जीवा के मध्य बिन्दु से वृत्त के केन्द्र को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा पर लंब होती है।
4. एक और केवल एक ही वृत्त उन तीन बिन्दुओं से होकर खींचा जा सकता है जो एक सरल रेखा में न हो।
5. इसी वृत्त में तुल्य जीवाएं केन्द्र से समान दूरी पर होती हैं और इसके विपरीत यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं वृत्त के केन्द्र से बराबर दूरी पर हों तो वे आपस में बराबर होती हैं।
6. वृत्त के किसी चाप द्वारा केन्द्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि की किसी बिन्दु पर बने कोण का दुगुना होता है।

